

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दि 21/11/2022

266/2022/225

जयनारायण vs सुमित भण्डारी

तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
जारी हुए

पेशी

20/11/2022

श्री

जयनारायण

श्री

सुमित भण्डारी

(266/2022/225)

13.2.23

जयनारायण बनाम सुमित भण्डारी वगैरह (266/2022/225)  
यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते विद्धो किये जाने अपील प्रस्तुत करने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि पक्षकारानं मे बड़े बुजुर्गो की सहमति से आपसी राजीनामा हो गया है तथा राजीनामें के अनुसार अपीलांट को-रास्ता दे दिया जायेगा जिस बाबत पक्षकारानं के मध्य आपसी सहमति से इकरारामा निष्पादित हो चुका है तथा उसी अनुक्रम में अपीलांट उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है इसलिए उक्त अपील को इसी स्तर पर विद्धो किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील को प्रार्थी द्वारा विद्धो फरमाई जाने का आदेश प्रदान करावें।  
अभिभाषक अपीलांट अपील को विद्धो में खारिज करवाना चाहते है।  
अतः अपील अपीलांट विद्धो किए जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

10/11/2022  
By M.P.  
D. Singh  
13/2/2023.



537 जमान 404 अपील  
 श्रीमहेश सिंह चौहान 404 अपील  
 पत्र की ओर वाउ नॉच रिक्त बाक  
 श्रीमहेश सिंह चौहान  
 राजस्व अपील अधिकारी  
 अजमेर  
 12/9/22

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर  
 अपील टी.ए. संख्या 266/2022 जिला अजमेर

2022/266

जयनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी जामडों का मौहल्ला,  
 पुराना शहर किशनगढ़ हाल निवास नया रेलवे स्टेशन के पास मदनगंज  
 किशनगढ़ जिला अजमेर।

--- अपीलांट

बनाम्

- 1/ सुमित भण्डारी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, जाति जैन, निवासी सदर बाजार, किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. श्रीमती संगीता जैन पुत्री स्व० श्री पुखराज जी जैन जाति जैन निवासी सदर बाजार, किशनगढ़ जिला अजमेर।

--- रेस्पोजेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ दिनांक 18.8.2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 225/2017 बउनवानी जयनारायण बनाम् सुमित भण्डारी वगैरह।

श्रीमान्जी,

अपीलांट अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करता है कि:-

- (अ) यह कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध रेस्पोजेन्ट्स विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात

①

266/2022  
 12/9/22